न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 26/2015/टीए

1. अमृतलाल पिता उदयराम अहीर
2. छगनलाल पिता उदयराम अहीर
3. शंकरलाल पिता उदयराम अहीर
4. केलीबाई बेवा उदयराम अहीर

सभी निवासी जोजरो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. चुन्नीलाल पिता नोला अहीर
2. नन्दा उर्फ नन्दलाल पिता नोला अहीर
3. भगवानलाल पिता लालू अहीर

तीनो निवासी जोजरो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

4. उप–पंजीयक गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
5. राज्य जरिये तहसीलदार, गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय न्यायालय,उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
दिनांक 22.04.2015 प्रकरण सं. 70/2014

उपस्थित – 1. श्री दिनेश दायमा – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री कन्हैयालाल श्रीमाली – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1,2,3

निर्णय दिनांक– 06.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण का एक वादपत्र दिनांक 10/10/2014 को अधीनस्थ न्यायालय मे इस आशय का पेश किया कि ग्राम जोजरो का खेडा मे स्थित खाता संख्या 7 पर दर्ज आराजी नम्बर 82 रकबा 0.06 है0 किस्म आ.चाह (सिंचाई का स्त्रोत) स्थित है जिसमे प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण का 1/2 हक हिस्सा एवं विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट का 1/3 एवं 1/6 हक व हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चला आ रहा है। उक्त आराजी चाह नम्बर 82 से जुडवा विपक्षीगण/रेस्पोडेन्टस की कोई कृषि भूमि मौजुद नही है लेकिन राजस्व रिकार्ड मे आराजी नम्बर 82 मे सह खातेदारी के रूप मे रिकार्ड मे केवल नाम दर्ज चला है। विपक्षीगण/रेस्पोडेन्टस द्वारा कभी भी इस सिंचाई के स्त्रोत का उपयोग उपभोग नही किया है न ही इसको खुदवाया वं बंधवाया एवं गहरा कराया है। उक्त सिंचाई के स्त्रोत आराजी नम्बर 82 के साबिक बन्दोबस्ती आराजी

नम्बर 51 दर्ज थे जिसे इन्दमल महाजन के रहन बिल कब्जा था जिसको पुनः अपीलार्थीगण / प्रार्थीगण के पिता उदयराम पिता परथु अहीर ने रहन मुक्त करा पुनः अर्जित किया। लेकिन रेवेन्यु रिकार्ड मे सहवन से रेस्पोडेन्टस विपक्षीगण का नाम दर्ज रह गया। राजस्व रिकार्ड मे गलत नाम का अंकन दर्ज रह जाने से उक्त सिंचाई के स्त्रोत मे विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट दखंलदाजी करने लग गये है। इस हेतु खातेदारी घोषणा के साथ–साथ स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष भी चाहा गया। वादपत्र के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 70/2014 प्रार्थना पत्र कायम करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 10/10/2014 को ही प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के पक्ष मे अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन पत्र पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित होने से अंतरिम निषेधाज्ञा रेस्पोडेन्ट/विपक्षीगण के विरूद्ध जारी की गयी। बाद सुनवाई दिनांक 22/04/2015 को अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन पत्र का निस्तारण करते हुए उभयपक्षो को मूल वादपत्र के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अंतरिम आदेश पारित किया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत की है।

2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पूर्व मे निर्णित प्रकरण संख्या 280/98 रेवेन्यू वाद निर्णय दिनांक 25/01/2003 मे अन्य पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत खातेदारी घोषणा मे इसी आराजी चाह आराजी नम्बर 82 रकबा 0.06 है0 मे दिनांक 21/12/1999 को प्रतिवादी संख्या 5 के रूप मे वादोत्तर प्रस्तुत करते हुए अपना कोई हक, हिस्सा कब्जा आदि इस आराजी चाह मे नही मानते हुए प्रकरण संख्या 280/98 रेवुन्यू वादपत्र को डिक्री किये जाने मे सहमति दर्ज कराते हुए सम्पूर्ण वादपत्र को स्वीकार करते हुए स्वीकृति का जवाबदावा पेश किया है इससे यह तथ्य प्रमाणित है कि रेस्पोडेन्टस का आराजी चाह आराजी नम्बर 82 मे कोई हक हिस्सा निहित नही है उक्त सभी तथ्य पत्रावली पर मौजुद होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने विपक्षीगण के साथ प्रार्थीगण अपीलार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने मे वैधानिक त्रुटि की है। रेस्पोडेन्ट प्रकरण संख्या 280/98 रेवेन्यू वाद निर्णय दिनांक 25/01/2003 मे दिये गये जवाबदावे मे प्रतिबन्धित होकर लॉ ऑफ एस्टोपल के मान्य सिद्वान्तो की रोशनी मे मौजुदा आवेदन पत्र मे जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हकदार नही होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षीगण/रेस्पोडेन्टस के साथ अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण को भी अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करने मे वैधानिक त्रुटि की

है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय गंगरार के निर्णय को निरस्त करते हुए संशोधित आदेश इस आशय का प्रदान किया जावे के मूल वादपत्र के निस्तारण तक रेस्पोडेन्ट/विपक्षीगण को आराजी नम्बर 82 रकबा 0.06 है0 सिंचाई के स्त्रोत के उपयोग उपभोग मे व्यवधान उत्पन्न नही करे न ही किसी अन्य से करावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण उनके हक मे बनता है क्योकि खाता संख्या 7 मे उल्लेखित आराजी नम्बर 82 मे कुंआ बना हुआ है तथा आराजी नम्बर 560 बीड है। इसी प्रकार खाता संख्या 107 मे खसरा संख्या 70/771 की किस्म चाही है जिसमे सिंचाई का स्त्रोत खसरा नम्बर 82 मे उल्लेखित कुंआ है। रेस्पोडेन्ट की कोई भी भूमि इस कुंए सें सिचित नही होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को पाबन्द कर देने के कारण अपीलान्ट जो लम्बे समय से उक्त कुंए के पानी का उपयोग/उपभोग कर रहा है को पाबन्द कर दिया गया है जो विधि विरूद्ध है। एक सिविल वाद के जरिये कुंए पर जाने के लिये अमृतलाल वगैरह ने रास्ता मांगा था जो दिनांक 04/05/2009 को खारीज हो गया। इसी प्रकार एक अन्य वाद संख्या 280/1998 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गगंरार के यहां प्रस्तुत हुआ था जिसका अनवान नारायण बनाम अमृतलाल है, भी दिनांक 25/01/2003 को खारीज हो चुका है। भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है जिसके कारण उसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पाबन्द कर देने से अपूर्णीय क्षति तथा सुविधा का संतुलन भी अपीलान्ट के हक मे बनता है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किये गये अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि दोनो 1/2–1/2 के खातेदार है। खसरा गिरदावरी से स्पष्ट है कि सभी जमीनो मे सिंचाई हो रही है एवं दो फसले ली जा रही है। जिसका स्त्रोत कुंआ है। इन्द्रमल से भूमि को बागुजार भी रेस्पोडेन्ट ने कराया है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को पाबन्द कर किसी प्रकार की त्रुटि नही की है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सम्पूर्ण रिकार्ड एवं परिथतियो की गहराई से जांच कर निर्ण पारित किया है तथा उभयपक्षो को यथास्थिति

बनाये रखने के लिये पाबन्द किया गया है ताकि काश्त व्यवस्था बिना किसी व्यवधान के वाद के निस्तारण तक जारी रह सके। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार द्वारा प्रकरण संख्या 70/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 22/04/2015 मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नही पाया जाता है। फलतः अपील अपीलान्ट खाारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ